 ISSN : 2581-8848

विमुक्त घुमंतू समुदाय का जीवन दर्शन

डॉ विश्वनाथ किशन भालेराव
हिंदी विभाग प्रमुख एवं शोध निर्देशक
शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर
जिला - लातूर महाराष्ट्र
dr.bvishawanath@gmail.com
9922176988

सारांश

भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने से बहुत ही पेचीदा लगता है। वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समानताओं में जीने का अधिकार नहीं है। जाति व्यवस्था की जड़े सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों को तहस-नहस कर देती है। एक जाति और दूसरी जाति एक दूसरे के उच्च नीचता का भेदभाव करती है। वर्ण व्यवस्था ने कठोरता से इसका पालन किया है। इसलिए एक वर्ण दूसरे वर्ण के बीच सहजता से जी नहीं सकता। वे आपस में हजारों परंपराएं लेकर जी रहे हैं। वे आपस में रोटी बेटी व्यवहार ने कर सकते। चौथे वर्ण की व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। गांव के बाहर के अस्पृश्य लोगों को वर्ण व्यवस्था में जानवर से भी अधिक गई गुजरी जिंदगी जीने पड़ता था। वर्ण व्यवस्था में यह बड़ी विचित्र पद्धति थी। मानव मानव में भेद करने वाले षड्यंत्रकारी दीवारें इसने खड़ी कर दी थी।

बीज शब्द- विमुक्त, घुमंतू, आदिवासी, जनजाति।

प्रस्तावना

भारतीय समाज सांस्कृतिक दृष्टि से महान रहा है। प्राचीन समय से वसुधैव कुटुंबकम को हमारा राष्ट्र अत्याधिक महत्व देता रहा है। इस कारण देश में महान और महानतम जीवन मूल्य , सामाजिकता , धर्म और धार्मिकता के कठोर नियम नहीं के बराबर थे। हमारे देश में उत्तरोत्तर कालखंड में वर्ण व्यवस्था निर्माण होती गई है। देश में अनेक धर्म और हजारों जातियां बन गई है। बहुधार्मिक, बहुभाषिक और बहूजातीय समाज में मौजूद मनुष्य जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बंट गया था। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की पाखंडी प्रवृत्ति को दिखावे के लिए महत्व देता है क्या ऐसा प्रतीत होता है। सच में कुटुंब को महत्व देने के बजाय जाति धर्म संप्रदाय आदि में हमारा समाज विभाजित हो चुका है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम या आप सोचते हैं तो हमें लगेगा जो प्राचीन कालीन सभ्यता और संस्कृति जो महान था। आज के संदर्भ में वह बहुत ही भयानक और विकृत प्रवृत्ति में तब्दील हो गया है। मनुष्यत्व को नकारने वाला लगता है। क्योंकि अनेक समस्या हमारे मानवीय जीवन को जाति , उपजातियों में विभाजित धर्म पर आधारित है। सदियां बीत गई है विकास के नाम पर उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। विमुक्त घुमंतू आदिवासी जनजातियों को भारतीय समाजिक परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो यह जनजातियां भूखे बेबस लाचार नंगे घुमक्कड़ बने हुए यायावरी करते हुए दिखाई देते है। न इन्हें घर है न कोई रहने का ठिकाना, न गांव में जगह है नहीं शिक्षा का द्वार खुला है, न पहचान पत्र है न राशन कार्ड,न वोट का अधिकार है न मानव होने का सम्मान , यह सभी जनजातियां भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपेक्षित , वंचित, अपराधिक जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे समुदायों का जीवन दर्शन आज के आजादी के अमृत महोत्सव में हमें सोचने के लिए विवश कर देता है। हमारी और हमारे समाज की मानसिकता उनके प्रति आज भी बदली नहीं है। क्योंकि ब्रिटिशओं ने उन्हें अपराधी की मोहर उनके समुदायों के माथे पर लगा दी गई थी। सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में भी आज यह रची और बसी हुई है। इन जनजातिय समुदायों को संदेह की नजरों से देखा जाता है। इनके ऊपर घुमंतू जाति का होने के कारण जानबूझकर जेलों में बंद

ISSN : 2581-8848

किया जाता है। आज महाराष्ट्र में अनेक जनजातियां जैसे पारधी उन्हें अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है। यह हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। मनुष्य होने के बावजूद जानवर बनने को विवश हो जाते है।

भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने से बहुत ही पेचीदा लगता है। वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समानताओं में जीने का अधिकार नहीं है। जाति व्यवस्था की जड़े सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों को तहस-नहस कर देती है। एक जाति और दूसरी जाति एक दूसरे के उच्च नीचता का भेदभाव करती है। वर्ण व्यवस्था ने कठोरता से इसका पालन किया है। इसलिए एक वर्ण दूसरे वर्ण के बीच सहजता से जी नहीं सकता। वे आपस में हजारों परंपराएं लेकर जी रहे हैं। वे आपस में रोटी बेटी व्यवहार ने कर सकते। चौथे वर्ण की व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। गांव के बाहर के अस्पृश्य लोगों को वर्ण व्यवस्था में जानवर से भी अधिक गई गुजरी जिंदगी जीने पड़ता था। वर्ण व्यवस्था में यह बड़ी विचित्र पद्धति थी। मानव मानव में भेद करने वाले षड्यंत्रकारी दीवारें इसने खड़ी कर दी थी। गांव में जाति ही मनुष्य की पहचान थी। जाति के आधार पर मनुष्य को मूल्य प्राप्त होता था। ग्राम व्यवस्था से जुड़ी हुई अनेक जातियां 12 बलुतेदार जातियों की श्रेणी में आती है और 18 आलुतेदार जातियां भी ग्राम व्यवस्था का हिस्सा थी। गांव में हर जाति का अपना अलग अस्तित्व था। हर जाति का अपना व्यवसाय था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पर वही एक व्यवसाय करते रहते थे। जाति आधारित व्यवसाय के कारण उस जाति के व्यक्ति को उसी प्रकार का महत्व प्राप्त होता था। हर जाति गांव में अपने व्यवसाय से पहचानी जाती थी। जैसे चमार दर्जी माली सोनार महार मांग आदि विभिन्न जातियां वर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित जीवन जीने को विवश थी। इनके अलावा अलग-अलग जातियां आलुतेदार की श्रेणी में आती है। इन समुदायों के अलावा भी गांव से कोसों दूर बाड़ी बस्ती तांडे और जंगलों में जीने वाली विमुक्त घुमंतू जनजातियों का एक अलग प्रकार की दुनिया है। वे घुमंतू समुदाय विवश होकर स्वाधीनता के बाद भी संघर्ष कर रहा है। उनकी अपनी संस्कृति है । अपनी भाषा है और अपना दर्द है। यह भारत के मूलनिवासी है। जिनका व्यवसाय जल जमीन जंगल और यायावरी से जुड़ा रहा। यह जातियां हमारी देश की पहचान थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला वैसे वैसे उन जातियों के प्रति एक अलग व्यवस्था तैयार होने लगी। विमुक्त घुमंतू जनजाति हजारों वर्षों से जीवन जीने की लालसा से घुमंतू जीवन जी रही है। विमुक्त घुमंतू जनजातियों में अनेक उपजातियां हैं। उन्हें गांव की संस्कृति से कोसों दूर रखा है। उनकी जिजीविषा गांव से जुड़ने की है। उनका दर्द हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देता है। संवेदना को बयां कर देता है। वह वैविध्य का चित्रण उनकी कथाओं और कहानियां में पढ़ने और सुनने को मिल सकता है। हमें लगेगा कि उनकी जिंदगी एक जगह पर टीकी नहीं है। बार-बार घुमंतू जीवन जीने की जिजीविषा से वह बेचैन है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना जैसे जातियां उपजातियां किसी न किसी तरह गांव में रहती है। गांव का मुखिया उन जातियों पर अपना अधिकार जताता है। उनका शोषण करता है। वैसे इन विमुक्त जनजातियों को गांव में बसने के लिए जगह नहीं मिल पाती। आज भी जंगलों में जीवन जीने के कटिबद्ध है। पीढ़ी दर पीढ़ी घुमंतू जनजातियों को पैदाइशी परिवार का भरण पोषण करने के लिए यायावरी को ही महत्व देते हैं। हर घुमंतू जनजातियों की अपनी अपनी परंपराएं रीति रिवाज व्यवसाय बोली भाषाएं कलाएं हैं। उनका अपना लोकजीवन है। एक समुदाय की बस्ती के आचार विचार ,खान पान, वेशभूषा , परंपराएं, रीतिरीवाज, बोली भाषाएं दूसरे बस्ती से मेल नहीं खाते। हर विमुक्त घुमंतू जनजाति एक दूसरे से भिन्न है। एक का दूसरे से किसी भी प्रकार का मेल नहीं होता। जाति व्यवस्था की कटघरे को यह भी घुमंतु समुदाय तोड़ नहीं पाया है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था धर्म व्यवस्था जाति व्यवस्था के कटघरे में यह भी बंदिश है। शिक्षा का अभाव जाति प्रथा के प्रभाव से धर्म की अज्ञानतावश वे मानसिक गुलाम बन चुके हैं। इनमें भी स्पृश्य अस्पृश्य जैसी छुआछूत जाति एवं उप जातियों में निर्माण हुई है। गांव की व्यवस्था से इनका सीधा संबंध नहीं आया। लेकिन कुछ कारणों से या व्यवसाय के कारण इनका अन्य समुदायों से कुछ पलों के लिए संपर्क हुआ है। जैसे विमुक्त घुमंतू जनजातियों के व्यवसाय, मनोरंजन के कारण, सपेरा तमाशा गीत डोंबारी आदि अपनी कला के द्वारा गांव के लोगों का मनोरंजन कर वे जीवन जीते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें कभी भी अपना जैसा नहीं समझा। स्वतंत्रता के बाद भी उत्तर भारत में ही नहीं अन्य राज्यों में इन्हें अत्याचार से

 ISSN : 2581-8848

रूबरू होना ही पड़ता है। झूठे आपराधिक मामले उनपर दर्ज किए जाते हैं। हमारी संस्कृति में इन्हें वनवासी उपेक्षित तथा अपराधिक जिंदगी जीने के लिए विवश बना दिया है।

विमुक्त घुमंतू जनजातियों का व्यवसाय अलग प्रकार का रहा है। कुछ जातियां भगवान के नाम पर भिक्षा मांगते है। तो कुछ पशुओं का पालन पोषण करने वाली जनजातियां है। कुछ जनजातियां कलाकार है। कुछ जनजातियां लोगों का भविष्य बता कर तथा प्राणियों की शिकार करके या परिश्रम कर जीवन जीती है। कुछ जनजातियां व्यवसाय करने वाली भी है। लेकिन इनके प्रति भारतीय समाज की मानसिकता संकोचित ही रही है। इन विमुक्त घुमंतू जनजातियों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सन 1857 में बढ़-चढ़कर योगदान दिया था। अंग्रेजों ने इनके साहस और शौर्य को पहचान कर इन्हें अपराधी घोषित करने का षड्यंत्रकारी निर्णय किया। अंग्रेजों ने बाद में सन 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कानून बनाकर विमुक्त घुमंतू जनजातियों को अपराधी बना दिया। इसलिए अपराधी होने की भय से घुमंतू जनजातियों स्थाई रूप से कहीं पर भी नहीं रह सकी। वह देश में घुमक्कड़ प्रवृत्ति से जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। देश में अंग्रेजों ने 198 विमुक्त घुमंतू जनजातियों को अपराधीक होने की सूची में डाल दिया है। जैसे बस्तर, कैकाडी, कंजारभाट, आबू, बंजारा, राजपारधी, राजपूत, रामोशी, छप्परबंद, पारधी, बावारिया, कालबेलिया, सपेरा, सिकलीगर, बंदाकलंदर आदि अनेक ऐसी घुमंतू जनजातियां अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध विद्रोह में लड़ती रही है। इन जनजातियों के हौसले और शौर्य से घबराकर अंग्रेजों ने इन समुदायों पर अपराधिक जनजाति अधिनियम कानून बनाकर इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी को अपराधिक घोषित कर दिया था।

देश की आजादी के बात सन 1947 में इन तमाम विमुक्त घुमंतू जनजातियों को पैदाइशी अपराधी बनाया गया था। इनके प्रति भारतीय धर्म एवं जातियां कभी भी विमुक्त घुमंतु जातियों के अपराधिक समस्या को हल करना नहीं समझा। वे मां मिट्टी और मानुस के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने में कटिबद्धता जिए है। लेकिन सही रूप में वह आजादी इन्हें नहीं मिली। समाज में इन विमुक्त जनजातियों की छवि अपराधी के रूप में ही रही है। इनके समुदायों के लिए जो कानून सन 1924 में सेटलमेंट वसाहत बनाया और इन्हें जड़ों से उखाड़ दिया गया। विमुक्त घुमंतू समुदाय को अन्य भारतीय समाज ने सहायता नहीं की। विमुक्त घुमंतू जाति पंचायत इस किताब में रामनाथ चव्हाण ने लिखा हैं - " धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी व्यक्ति को जन्म से ही अस्पृश्य बना देना और आपराधिक कानून बनाकर विमुक्त घुमंतू जनजातियों में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपराधी घोषित करना यह दोनों घटनाएं भारतीय इतिहास में मानवता की दृष्टि से उतनी ही अमानवीय और विकृत प्रवृत्ति की है।"[1]

देश आजाद होने के बाद भी यह विमुक्त घुमंतू जनजातियों को आजादी नहीं मिली। अपराधी कानून से मुक्ति इन्हें नहीं मील पाई। भारतीय संविधान में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने जो प्रावधान किए थे वह प्रावधान सन 1960 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लागू किए थे। विमुक्त घुमंतू जनजातियों की अपराधिक मोहर उन्होंने तोड़ने का काम किया था। लेकिन वास्तव में यह जनजातियां जातिवादी धर्मवादी मानसिकता के समाज द्वारा आज भी अपराधी की जिंदगी जीने को मजबूर है। शासन प्रशासन विभाग में पुलिस अधिकारी हो या हमारा सभ्यताओं लैस भारतीय समाज हो इन जनजातिय समुदायों के प्रति सोंच नहीं बदली। हमारे देश की कुल जनसंख्या के 9.75 प्रतिशत अर्थात लगभग 12 करोड़ की आबादी विमुक्त घुमंतू जनजातियों की है। इसमें से ज्यादा जनसंख्या झारखंड राज्य में 17% आबादी है। भारत के अन्य राज्यों में लक्ष्यदीप, मिजोरम ,नागालैंड ,मेघालय ,अरुणाचल दादर नगर हवेली , मणिपुर , सिक्किम , त्रिपुरा छत्तीसगढ़ , ओरिसा , मध्य प्रदेश ,तमिलनाडु, बिहार केरला, उत्तराखंड ,और महाराष्ट्र आदि राज्यों में यह दिखाई देती है। सन 2018 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन जनजातियों की जनसंख्या की स्थिति का विवरण दिया है। कई प्रदेशों में जनजातिय समुदाय नाम मात्र है। कुछ राज्यों में इनकी संख्या अधिक है। प्रत्येक समुदाय की अलग-थलग विविधता दिखाई देती है।

भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देश के जनजातियों को चार मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र , मध्य भारत का क्षेत्र, पश्चिम भारत का क्षेत्र , तटवर्ती दीप समूह के साथ दक्षिण भारत का क्षेत्र आदि। इन सभी में इन जनजातियों की अलग-अलग विविधताएं जैसे - खानपान, वेशभूषा , रिती रिवाज, परंपराएं, बोली भाषाएं,तिजत्यौहार , प्रार्थनाएं ,एक दूसरे से मेल नहीं खाती। यह विविधताएं भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षो से बहुभाषिक, बहू धार्मिक और बहुजातीय ,बहूसंस्कृती रही है। हर जनजाति स्वतंत्र होती है। एक जनजाति दूसरी जनजाति से किसी भी प्रकार से जुड़ नहीं पाती।

जनजातियों का मुखिया इन्हें पर अधिकार रखता है। वह गतिविधियों का संचालन करता है। संपूर्ण देश में इन जनजातियों का समुदाय फैला हुआ है। देश की चार बड़ी जनजातियां भील, मीणा ,गुमानी, संथाल आदि है। भाषा प्रजाति सांस्कृतिक विशेषता की दृष्टि से यह जनजातियां प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत जीवन जीना चाहती है। लेकिन इन्हें सरकारी उदासीनता , धर्म व्यवस्था तथा शिक्षा के अभाव कारण उन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यह जनजातियां आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है। न ही इनकी जातियां आत्मनिर्भर हो चुकी है।

आजादी के बात विमुक्त घुमंतू जनजातियों को गांव से तो बेघर होकर ही रहना पड़ता है अपितु जंगलों बस्ती तांडे से भी बेघर होकर महानगरों में , झुग्गी झोपड़ियों में , कारखानों में, मीलों में, इट भट्टीयों पर मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा है। उनका जीवन बहुत ही विदारक है। इनके प्रति सरकार तथा प्रशासन का व्यवहार अशोभनीय है। अशिक्षित होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को सभ्य समाज द्वारा धोखा दिया जाता है। उनके बच्चों को तथा पत्नियों को मजबूरी का शिकार होना पड़ता है। नारियों पर अत्याचार होता है। बेगुनाह होने के बावजूद भी गुनहगार ठहराया जाता है। भूख के लिए उन्हें लाचार होना पड़ता है। इन्हें कुछ लोग टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। यह दास्तान घुमंतू जनजातियों की है। वे प्रकृति के पूजक है । धरती के पुत्र है। भारत के मूलनिवासी है। जल जमीन जंगल पर राज करने वाले यहां के वे राजा थे। खुशहाली से जीवन जिया करते थे। लेकिन इन्हें उपेक्षितों की जिंदगी जीने के लिए अंग्रेजों आलावा भारतीय समाज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके जीवन को खोखला बना दिया है। जहां तक आदिवासी साहित्य और उनकी जीवन शैली की बात है तो आदिवासी सामूहिक जिंदगी जीता है।

"व्यक्तिवादी नहीं है जबकि बाकी संस्कृति या व्यक्तिवादी है। यही है दृष्टिकोण का अंतर । हम कब्जा करना चाहते हैं और वह सहयोग पूर्वक जीना चाहते हैं। इसलिए आदिवासी साहित्य मूल्यों से भी लैस है और असीम भी। हमारे वाड़मय से कहीं बड़ा है उनका वाड़मय और विशाल है। उनका लोक साहित्य यह दिल से हम अपने लोगों के बीच ले जाए तो न सिर्फ हमारे और उनके बीच एक दर्द का रिश्ता कायम होगा बल्कि हमारे जीवन मूल्यों में सुधार होगा।" 2

विभिन्न वर्गों में बटा समाज आज भी देश की संपन्नता के मुख्य प्रवाह से नहीं जुड़ पाया है। सत्ता बदलती है लेकिन विमुक्त घुमंतू जनजातियों की व्यवस्था नहीं बदली। शासन प्रशासन की शोषणकारी नीतियां उन्हें प्रताड़ित जीवन जीने में विवश कर देती रही है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं फिर भी यह विमुक्त घुमंतू जनजातियों विस्थापन का उपेक्षित जीवन जीने का को मजबूर है। संस्कृति सभ्यता और विकास के मकड़ीजाल में फंसने लगी है। जिन्हें प्राचीन संस्कृति में सभ्यता से प्रेम था। जमीन जंगलों में इन्हें प्रेम था। उसी से इन्हे खदेड़ दिया गया है। प्रकृति ही उनके जीवन का धरोहर थी। लेकिन आज विकास के नाम पर प्राकृतिक जड़ों से इन जनजातियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। इनका अपना अस्तित्व था एक अलग से सामाजिक पहचान थी। लेकिन आज हमारी सोच ने इनके प्रति उदासीनता का रवैया अपनाया है। विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लोकगीत लोक नृत्य लोकजीवन त्यौहार उत्सव अलग-अलग प्रकार के हैं। हर एक का दूसरे से मेल नहीं होता। फिर भी उनका दर्द , उनकी पीड़ा एक ही है कि उन्हें वजूद से नेस्तनाबूद न किया जाए। उन्हें जीने की लालसा है। मनुष्य के रूप में हमें भी

 ISSN : 2581-8848

आज़ादी से जिंदगी जीने का अधिकार मिले। यह सोच उन्हें भी मानवता का संबंध जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें हर प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। भारत के आम व्यक्तियों को मिलते हैं। शिक्षा आरोग्य आवास आर्थिक सहायता हर जगह इन्हें बराबरी का अधिकार देने की आवश्यकता है। तभी कहीं जाकर यह हमारी तरह मनुष्य के रूप में जीवन जी पाएंगे। नहीं तो हजारों वर्षों से वे मनुष्य होकर भी प्रताड़ित जीवन जीने लगे हैं। विमुक्त घुमंतू होने के कारण सभ्य समाज की षड्यंत्र का वे शिकार है। उनके साथ बदसलूकी की जाती है। धोखाधड़ी का व्यवहार किया जाता है। उनके मां बहनों पर खुलेआम अत्याचार होता है। झुग्गी झोपड़ियों को जलाया जाता है। बेवजह उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है। जेल में बंद कर उन्हें गुनहगार ठहराया जाता है। इन्हें इस भयावह स्थिति से मुक्ति मिलनी चाहिए। तभी तो वे विमुक्त हो जाएंगे। जो भारतीय संविधान उन्हें समानता स्वतंत्रता और बंधुता का हक्क देता है। घुमंतू जनजातियों को भारतीय शासन द्वारा हर तरह से सहायता करना चाहिए। नहीं तो एक समुदाय मनुष्य होकर जंगलों के जानवरों से भी गई गुजरी जिंदगी जी रहा है। उन्हें इससे मुक्ति देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1 भटक्या विमुक्तांची जात पंचायत - रामनाथ चव्हाण पृष्ठ 22

2 आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य संपादक डॉ ऊषा राणावत ,

3 डॉ सतीश पांडेय, डॉ शीतला प्रसाद दुबे -- हाशिए से - रमणिका गुप्ता